बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-04/ 2019 1687 /पटना, दिनांक 28/10/2019

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰),
जहानाबाद/ सिवान/ बक्सर/ गया/ भागलपुर/ कैमुर/ वैशाली/ पूर्णियाँ/ पटना एवं औरंगाबाद।

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰),
(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय : **बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।**

महाशय,

बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1003 दिनांक 10.09.2013 द्वारा बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) एवं अधिसूचना संख्या-1004 दिनांक 10.09.2013 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा सौंपे गए दायित्व के आलोक में प्राधिकार उन स्वाबलम्बी सहकारी समितियों का निर्वाचन कराना चाहता है, जो अधिक्रमित हैं या जिनका निर्वाचन देय है, वैसी समितियों की सूची **अनुलग्नक-1** पर दी गई है।

4. संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की उपविधियों में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिला सहकारिता पदाधिकारी संबंधित समिति से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियाँ की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से भी संबंधित समिति की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. इन स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने **दिनांक 30.09.2019** को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो **दिनांक 30.09.2019** तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

i) सूची में अंकित संबंधित स्वावलम्बी सहकारी समिति **प्रपत्र-एम 1** में तीन प्रतियों में मतदाता सूची तैयार कर अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। प्रपत्र-एम 1 में तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर यथास्थिति समिति के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र-एम 1 के स्तंभ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को **दिनांक 05.11.2019** तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहती है, तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की मतदाता सूची अपनी देख-रेख में तैयार करायें।

ii) समिति द्वारा समर्पित मतदाता सूची की प्रामाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख यथा सदस्यता बही, सभा बही, कैश बुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये गये है। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जायेगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जायेगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक **07.11.2019** तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जायेगा। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हैं तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहे। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अत: जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रवधानों के तहत प्रक्रिया अपनाकर ही सदस्यता समाप्त की गयी हो।

iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र-एम 2** में निर्गत की जायेगी।

7. अनुलग्नक-1 में सन्निहित स्वावलम्बी सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
i	स्वाबलंबी सहकारी समिति द्वारा प्रपत्र-एम 1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	05.11.2019
ii	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	07.11.2019
iii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	08.11.2019
iv	आम नोटिस का प्रकाशन, जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	08.11.2019

v	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	08.11.2019 से 18.11.2019 तक
vi	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	20.11.2019

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर।

(ख) संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति के कार्यालय के सूचना पट्ट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समिति/ समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी को **दिनांक 11.11.2019** को ही उपलब्ध करा दी जायेगी। संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सूचनायें एकत्रित कर **दिनांक 13.11.2019** तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को समेकित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा **प्रपत्र-एम 3** में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति **प्रपत्र-एम 4** में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति के सदस्य हैं। **बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। सादे कागज पर दी गयी आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।**

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो तो मांगे जाने पर समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के विहित प्रावधानों का पालन करते हुए ही नाम हटाया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछली मतदाता सूची में नहीं था परन्तु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण-पत्र/ शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायेगी। साथ ही साथ आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

13. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र-एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है तथा कौन-सी नई

प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप **प्रपत्र-एम 6** पर देखा जा सकता है।

14. संबंधित स्वावलम्बी सहकारी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

15. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-एम 1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

16. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति स्वावलम्बी सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएगी, **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें 1.50/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

17. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित स्वावलम्बी सहकारी समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

18. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। **दिनांक 20.11.2019 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में ही सभी निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों को समेकित करेंगे एवं इसे उसी प्रपत्र में फैक्स या विशेष दूत द्वारा दिनांक 22.11.2019 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।**

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक-यथोक्त।

(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1687 /पटना, दिनांक 28/10/2019

प्रतिलिपिः जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद/ सिवान/ बक्सर/ गया/ भागलपुर/ कैमुर/ वैशाली/ पूर्णियाँ/ पटना एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वे कृपया अपने स्तर से भी संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

3. जिला सहकारिता पदाधिकारी से यह भी अनुरोध है कि संबधित स्वाबलंबी समितियों से मतदान केन्द्र की संख्या के अनुरूप निर्वाचन शुल्क की राशि प्राधिकार को दिनांक 07.11.2019 क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1687 /पटना, दिनांक 28/10/2019

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, मगध, सारण, पटना, भागलपुर, तिरहुत एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1687 /पटना, दिनांक 28/10/2019

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1687 /पटना, दिनांक 28/10/2019

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

निर्वाचन देय स्वाबलंबी सहकारी समितियों की सूचीः-

क्र0	जिला	प्रखंड	समिति का नाम
1	2	3	4
1	जहानाबाद	हुलासगंज	मगध मजदूर सेल्फ सपोटिंग को-ऑपरेटिव स०स०लि०
2	सिवान	सिवान	प्रगति बचत एवं साख स्वाबलम्बी सहकारी समिति स०स०लि०
3	बक्सर	बक्सर	शारदा सेवा स्वाबलम्बी स०स०लि०, करहँसी
4	गया	डोभी	डोभी कृषक सेवा स्वाबलंबी स०स०लि०
5	गया	डोभी	मुहसेहना कृषक सेवा स्वाबलंबी स०स०लि०
6	भागलपुर	जगदीशपुर	एकता हैण्डलूम बुनकर स्वाबलंबी स०स०लि०, तातारपुर
7	कैमूर	रामपुर	पंचायत जलालपुर कृषि एवं उर्वरक क्रय विक्रय स्वाबलम्बी स०स०लि०
8	वैशाली	चहराकलॉ	विष्णुपर गढ़ कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड
9	पूर्णियाँ	धमदाहा	नीरपुर कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
10	पूर्णियाँ	धमदाहा	आदर्श कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
11	पूर्णियाँ	धमदाहा	नीरपुर फल सब्जी उत्पादक कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
12	पूर्णियाँ	के० नगर	मॉ भगवती कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
13	पूर्णियाँ	डगरूआ	तबस्सुम कृषक विकास स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
14	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	मॉ दुर्गा कृषक सेवा स्वाबलम्बी सहकारी समिति लि०
15	पटना	पटना सदर	संत गृह निर्माण स्वाबलंबी समिति लि०
16	औरंगाबाद	कुटुम्बा	किसान कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, धनीवार
17	औरंगाबाद	कुटुम्बा	शंकर कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, करमा वसंतपुर
18	औरंगाबाद	कुटुम्बा	माँ सतवाहिनी कृषक सेवा स्वाबलबी सहकारी समिति लि०
19	औरंगाबाद	कुटुम्बा	किसान कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, सिमरा, कुटुम्बा
20	औरंगाबाद	हसपुरा	ईटवा कृषक सेवा स्वाबलबी सहकारी समिति लि०
21	औरंगाबाद	ओबरा	अरण्डा फल सब्जी सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, अरण्डा
22	औरंगाबाद	ओबरा	सुंदरम् कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०
23	औरंगाबाद	नवीनगर	कमदारपुर कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, कमदारपुर
24	औरंगाबाद	नवीनगर	मोहरकर्मा आदर्श कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, नवीनगर
25	औरंगाबाद	देव	कौड़ियारी कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, कौड़ियारी देव
26	औरंगाबाद	औरंगाबाद	जम्होर बहुधंधी कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, जम्होर
27	औरंगाबाद	औरंगाबाद	अनुग्रह नारायण रोड़ कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी समिति लि०, जम्होर
28	औरंगाबाद	औरंगाबाद	हलवाहा कृषक सेवा स्वाबलंबी सहकारी सहकारी समिति लि०